भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1048

24 जुलाई, 2026 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत दावों के निपटान की समय सीमा

+1048. कैप्टन बृजेश चौटा:

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत तीन वर्षों के दौरान दक्षिण कन्नड़ जिले सहित कर्नाटक में आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई) के अंतर्गत पैनलबद्ध अस्पतालों द्वारा कितने दावे प्रस्तुत किए गए हैं और उनका मूल्य कितना है;

(ख) निपटाए गए, अस्वीकृत किए गए और लंबित दावों का ब्यौरा क्या है और औसत निपटान समय कितना है;

(ग) दावों में विलंब या अस्वीकृति के क्या मुख्य कारण हैं और कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं और उनकी प्रकृति क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा दावों का समय पर निपटान और लाभार्थियों का निर्बाध उपचार सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय प्रस्तावित किए गए हैं?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री प्रतापराव जाधव)

(क) से (घ): विगत तीन वर्षों (वित्त वर्ष 2023-24 से वित्त वर्ष 2025-26) की अवधि के दौरान, कर्नाटक राज्य में आयुष्मान भारत–प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई) के अंतर्गत पैनलबद्ध अस्पतालों द्वारा 5,763.40 करोड़ रुपये की राशि के कुल 99.85 लाख दावे प्रस्तुत किए गए हैं, जिनमें दक्षिण कन्नड़ जिले से 407.53 करोड़ रूपये की राशि के कुल 3.18 लाख दावे, भी शामिल हैं। इसी अवधि के दौरान, कुल 92.42 लाख दावों का निपटान किया गया है।

इस योजना के अंतर्गत दावों का निपटान एक नियमित प्रक्रिया है तथा दावों का निपटान संबंधित राज्य स्वास्थ्य एजेंसी द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (एनएचए) द्वारा जारी दावा निर्णय संबंधी दिशा-निर्देशों के अनुसार किया जाता है। इसके अतिरिक्त, दावों के समयबद्ध निपटान के लिए अंतः राज्यीय अस्पतालों (राज्य के

अंदर स्थित अस्पतालों) द्वारा प्रस्तुत दावों के लिए दावा प्रस्तुत किए जाने की तिथि से 15 दिनों के भीतर तथा पोर्टेबिलिटी दावों (राज्य के बाहर स्थित अस्पतालों) के लिए दावा प्रस्तुत किए जाने की तिथि से 30 दिनों के भीतर निपटान की अनुमेय समय-सीमा निर्धारित है।

एबी-पीएमजेएवाई के अंतर्गत लाभार्थियों की शिकायतों के समयबद्ध एवं पारदर्शी निवारण के लिए एक सुदृढ़ शिकायत निवारण तंत्र स्थापित किया गया है। लाभार्थी केंद्रीकृत शिकायत निवारण प्रबंधन प्रणाली, 24×7 टोल-फ्री हेल्पलाइन संख्या 14555, आयुष्मान ऐप अथवा आयुष्मान सारथी (व्हाट्सऐप चैटबॉट) के माध्यम से अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। योजना के तहत शिकायतों का प्रभावी निस्तारण सुनिश्चित करने तथा लाभार्थियों के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए शिकायतों की निगरानी एवं उनका निवारण राष्ट्रीय, राज्य तथा जिला स्तर पर एक संरचित तंत्र के माध्यम से किया जाता है।
